



मुख्यमंत्री भजनलाल ने भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें मेवाड़ी पाग पहनाकर सम्मानित किया गया।

## मु.मंत्री भजनलाल भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा में शामिल हुए

### भीलवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेवाड़ी पाग और 51 किलो की फूलमाला पहनाकर मु.मंत्री का स्वागत किया

भीलवाड़ा, 4 अप्रैल (निसं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भीलवाड़ा में लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि, 70 साल से कांग्रेस गरीबी हटाने की बात करती है लेकिन गरीबी नहीं हटी। उन्होंने कहा कि, 2014 के बाद गरीबी की चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। महिलाओं के लिए सम्मान का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

उन्होंने कहा कि, जिन्होंने युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है, युवाओं को रूलाने का काम किया है, किसान के बेटों से धोखा किया है, भाजपा ने उनका सहयोग कर सहारा बनने का काम किया है। उन्होंने कहा, जिसने धोखा किया है वे सलाहों के पीछे जायेंगे। कांग्रेस राज में जो लोग फर्जी तरीके से ट्रेनिंग लेकर नौकरियां

- मु. मंत्री ने कहा, 70 साल से कांग्रेस गरीबी हटाने की बात करती रही है पर गरीबी नहीं हटी।
- विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा में वापसी की तथा निर्दलीय विधायक आशोक कोठारी ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की।

हासिल कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारी डबल इंजन की सरकार भीलवाड़ा के विकास के लिए हर समय विकास के लिए तैयार है।

कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल वी.पी.सिंह, सांसद सुभाष बहेडिया, महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, विधायक अशोक कोठारी, गोपाल खंडेलवाल, गोपीचन्द्र मीणा, लालाराम बैरवा, उदयलाल भडाणा, जयबक्सिंह सांखला, लादलाल पित्तलिया, विदुलशंकर अवस्थी, रामपाल शर्मा

शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का मेवाड़ी पाग 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया।

इस सभा से पूर्व दामोदर अग्रवाल ने जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन पेश किया। इस समय पूर्व सांसद सुभाष बहेडिया, पूर्व विधायक विदुल शंकर अवस्थी सहित भाजपा पदाधिकारी उनके साथ थे।

विधानसभा चुनावों में बागी हुए पूर्व जिलाध्यक्ष लादलाल तेली, पूर्व यू.आई.टी. चैयरमैन एल एन डाड, उप

सभापति नगर परिषद रामलाल योगी सहित अन्य नेताओं की मुख्यमंत्री भजन लाल की मौजूदगी में घर वापसी हुई। वहीं, निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने भाजपा का दुपट्टा ओढ़ कर अपना समर्थन दिया।

### पूर्व मंत्री भाया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका में कहा गया है कि, उसके खिलाफ नगर पालिका, मांगरोल की ओर से जारी टैंडर को लेकर गत 8 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें याचिकाकर्ता व अन्य पर आरोप लगाया गया था कि, विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए टैंडर जारी किए गए और नोटशिट में कांटेछांट की गई। याचिका में कहा गया कि, कलेक्टर की ओर से दिए आदेश की पालना में एस.डी.ओ. ने जांच की थी। जिसमें सामने आया कि, आचार संहिता लागू होने के बाद टैंडर की कार्रवाई रोक दी गई थी और कार्य आदेश भी जारी नहीं हुआ था। इस जांच के करीब पांच माह बाद एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। याचिका में कहा गया कि, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ओपप्रकाश ने यह एफ.आई.आर. राजनीतिक द्वेषता के चलते दर्ज कराई है। जिस पर सुनावई करते हुए अदालत ने मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि, अंता थाने में भी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ समान प्रकृति का मामला दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने उस मामले में प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।

### भाजपा ने कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होना चाहिए। चाहे वे खुद हों, हरियाणा के सी.एम. नायब सिंह हो या खट्टर हों। उन्होंने पोस्ट में कहा, मेरा इरादा हेमा जी या किसी को भी आहत करने का नहीं था। मैंने तो साफ कहा था कि हम हेमा जी का सम्मान करते हैं वे हमारी बहू हैं। भाजपा महिला विरोधी है और झूठ फैलाती है।

सुरजेवाला की टिप्पणी के विवाद पर हेमा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वे इस समय मथुरा में प्रचार में व्यस्त हैं, जहां से वे वर्ष 2014 से सांसद हैं। सुरजेवाला पर प्रहार करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की एक मात्र पहचान नारी शक्ति का अपमान करना ही है। उन्होंने कहा, नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की एकमात्र पहचान है और सुरजेवाला के महिला विरोधी, क्रूर, प्रणित बयान से एक बार फिर यह साबित हो गया है। उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए जो कहा है उसे दोहराया तक नहीं जा सकता।

कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला कांग्रेस के नवीनतम नेता हैं जो चुनावों में सुविधियों में आए हैं। इससे पहले सुप्रिया श्रीनाते और भाजपा के दिलीप घोष को चुनाव आयोग से उनकी टिप्पणियों व सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चेतावनी मिल चुकी है।

मांडलगढ़/भीलवाड़ा, 4 अप्रैल (निसं)। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से विधायक रहे विवेक धाकड़ ने गुरुवार सुबह अपने हाथ की नसें काटकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के पिता, इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ भी भीलवाड़ा जिला परिषद के जिला प्रमुख रह चुके हैं। विवेक की पत्नी सरकारी सेवा में हैं और उनके एक बेटे हैं।

भीलवाड़ा शहर के सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि, आज सुबह यह सूचना मिलने पर कि, पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने आत्महत्या कर ली है और उनका शव हॉस्पिटल मोर्चरी में रखा हुआ है, हम अस्पताल पहुंचे। फिर हमने पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के निवास पर उस कमरे की तलाशी ली जहां उन्होंने आत्महत्या की थी। वहाँ हमें एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में थीं और इससे पूर्व फांसी लगाने का

## कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी थामा भाजपा का दामन

### गौरव ने गुरुवार को सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया

उदयपुर, 4 अप्रैल (कांस)। इन दिनों लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब नया नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का जुड़ा है। गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गौरव भाजपा में शामिल हो गए।

सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। गौरव ने पत्र में खड़गे से कहा कि, वे न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और न ही सुबह-शाम देश के वैयर्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ज्ञातव्य है कि, कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वे भाजपा के ताराचंद जैन से 32 हजार से ज्यादा वोटों से हार गए थे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

### ‘हमारे 19 मार्च के अंतरिम आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाए’

नयी दिल्ली, 04 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) विवाद के मामले में वरिष्ठ नेता शरद पवार और उनके भतीजे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार गुटों को 19 मार्च के (शीर्ष अदालत के) अंतरिम आदेश का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश देते हुए एक-दूसरे के खिलाफ दायर आवेदनों का निपटारा कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्य कान्त और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने राकांपा अजीत पवार गुट को निर्देश दिया कि वह शीर्ष के अंतरिम आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए चुनावी विज्ञापनों में अधिक प्रमुखता के साथ यह उद्घोषणा

- सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार और उनके भतीजे को निर्देश दिया।

प्रकाशित करें कि, घड़ी प्रतीक (चुनाव चिन्ह) का मामला अदालत के विचाराधीन है। पीठ ने इसी प्रकार से शरद पवार गुट को भी निर्देश दिया कि, अंतरिम आदेश का पालन करते हुए वह घड़ी प्रतीक का उपयोग न करें। आगामी चुनावों के लिए उसे दिए गए तुरही प्रतीक का इस्तेमाल करने के निर्देश का पालन करो। पीठ ने वरिष्ठ नेता शरद पवार गुट की याचिका पर अजीत पवार समूह से गुरुवार की सुनावई के दौरान पूछा था कि, क्या उसने शरद पवार के नाम और राकांपा की घड़ी चिह्न का उपयोग करते हुए यह उद्घोषणा करने के साथ अदालती आदेश का पालन किया था कि, इस चुनाव चिह्न का आवंटन न्यायालय के विचाराधीन है।

### पूर्व मंत्री भाया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका में कहा गया है कि, उसके खिलाफ नगर पालिका, मांगरोल की ओर से जारी टैंडर को लेकर गत 8 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें याचिकाकर्ता व अन्य पर आरोप लगाया गया था कि, विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए टैंडर जारी किए गए और नोटशिट में कांटेछांट की गई। याचिका में कहा गया कि, कलेक्टर की ओर से दिए आदेश की पालना में एस.डी.ओ. ने जांच की थी। जिसमें सामने आया कि, आचार संहिता लागू होने के बाद टैंडर की कार्रवाई रोक दी गई थी और कार्य आदेश भी जारी नहीं हुआ था। इस जांच के करीब पांच माह बाद एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। याचिका में कहा गया कि, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ओपप्रकाश ने यह एफ.आई.आर. राजनीतिक द्वेषता के चलते दर्ज कराई है। जिस पर सुनावई करते हुए अदालत ने मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि, अंता थाने में भी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ समान प्रकृति का मामला दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने उस मामले में प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।

## चित्तौड़ में आंजना का नामांकन भ्रवाने पहुंचे सचिन पायलट और खड़गे



चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में गुरुवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस जनसमर्थन सभा में करीब 40 हजार से ज्यादा आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

चित्तौड़गढ़, (निसं)। 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने गुरुवार को अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। उदयलाल आंजना की नामांकन महारौली से पूर्व जन आशीर्वाद महासभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गोविन्द सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मावली विधायक पुष्कर डांगी आदि शामिल हुए।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि, भाजपा इस बार 400 पार का नारा दे रही है, पिछली बार 300 पार होने के बाद उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी लगाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी थी। यदि इस बार 400 पार आ गए तो यह लोग अपने मन की हर इच्छा पूरी करेंगे लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को मिटा कर रख देंगे। इसलिए हम सबको मिलकर इस बार लोकतंत्र को और संविधान को बचाना है।

खड़गे ने कहा कि, भाजपा वाले परिारवाद की बात करते हैं, जबकि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद से उनके परिवार से कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं

- नामांकन के लिए हुई महारौली से पूर्व विशाल जन आशीर्वाद सभा भी हुई, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा तथा मावली विधायक पुष्कर डांगी ने संबोधित किया।

- खड़गे ने कहा, भाजपा वाले परिवारवाद की बात करते हैं पर राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना है। सोनिया गांधी के पास अवसर आया पर उन्होंने अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया।

- पायलट ने कहा, भाजपा ने 300 पार होने के बाद नोटबंदी और जी.एस.टी. लगाकर जनता की कमर तोड़ दी थी, इस बार 400 पार आ गए तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे।

बना है। जब सोनिया गांधी जी के पास प्रधानमंत्री बनने का अवसर आया भी तो उन्होंने कुर्सी का त्याग करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में एक अर्थशास्त्री देश को दिया।

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि, भाजपा राज में चीन हमारी भूमि पर कब्जा करता जा रहा है, लोकसभा से सांसदों को निकाला जा रहा है, नेताओं को ईडी और सीबीआई से डराया जा

रहा है। बताया जा रहा है कि, दो अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल, उपमुख्यमंत्री दिया कुमार सहित कई दिग्गज चित्तौड़गढ़ आए थे, उस दिन चित्तौड़गढ़ में इसी स्थान पर आयोजित सभा में लगभग 20000 लोग मौजूद थे। लोकसभा को भीड़ का आकलन करके लोगों की संख्या 40,000 से अधिक बताई जा रही है।

### देश भर में आपात हवाई पड़ियां बिछाएगी वायु सेना

नयी दिल्ली, 04 अप्रैल। वायु सेना अपने विमानों को आपात स्थिति में कहीं भी उतारने के लिए देश भर में विभिन्न राज्यों में आपात हवाई पट्टी सुविधाओं का जाल बिछाने पर काम कर रही है।

वायु सेना ने गगनशक्ति अभ्यास के दौरान पिछले सप्ताह ही कश्मीर घाटी में उत्तरी सेक्टर में इसी तरह की आपातकालीन हवाई पट्टी पर चिन्ह कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर दिया है। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, जब तक राज्य सरकार के अफसरों को नहीं बुलाते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। यदि आपका वेतन नहीं रोकते तो याचिकाकर्ताओं को भी उनका बकाया वेतन नहीं मिलता। यह रवैया सरकारी अफसरों की कार्यशैली को बताता है। अदालत ने जब उनसे पूछा कि, एक

### अंततोगत्वा 20...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट के जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपौट के समक्ष पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि, याचिकाकर्ता कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर दिया है। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, जब तक राज्य सरकार के अफसरों को नहीं बुलाते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। यदि आपका वेतन नहीं रोकते तो याचिकाकर्ताओं को भी उनका बकाया वेतन नहीं मिलता। यह रवैया सरकारी अफसरों की कार्यशैली को बताता है। अदालत ने जब उनसे पूछा कि, एक

- हाई कोर्ट ने प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव का वेतन रोकने का आदेश दिया तो, राज्य सरकार के अधीन आए निजी कॉलेज के दस कर्मचारियों को उनका 20 माह से रुका वेतन मिल गया।

साल से कर्मचारियों का वेतन मामला क्यों लंबित रखा गया, तो प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव ने कहा कि, उन्होंने तो एक महीने पहले ही कार्य प्रारंभ किया है और आगे से इस संबंध में ध्यान रखा जाएगा। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि, अदालत ने पिछली सुनवाई पर डॉ. संजय कुमार यादव व अन्य को याचिका पर निर्देश दिया था कि, यदि याचिकाकर्ताओं का बकाया वेतन नहीं दिया जाता है तो प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव का भी आगामी महीने का वेतन रोका जाए। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव को भी तलब किया था।